राजस्थान पुलिस

RAJSAMAND POLICE

@RajsamandPolice

सत्यमेव जयते

Email- sp-raj-rj@nic.in

प्रेस नोट दिनांक 02.07.2025

पुलिस थाना कांकरोली

प्रेमिका ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर करवाई अपने पति की हत्या शैर सिंह मर्डर मे नया खुलासा

दिनांक 24.06.2026 को प्रार्थी श्री खेमसिंह पिता चतरसिंह जाति राजपुत उम्र 60 साल निवासी खाखरमाला थाना आमेट जिला राजसमद ने एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 24.06.2026 को मेरा भतिजा शेरसिंह पिता जोधसिंह जी उम्र करीब 35 साल निवासी खाखरमाला थाना आमेट जिला राजसमदं सुबह करीब 10.00 बजे बेग मे कपडे लेकर बाडमेर जा रहा था रास्ते मे प्रतापपुरा पुलिया पर अज्ञात ईको स्पोर्टस कार मे सवार अज्ञात बदमाशान ने धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी है। कार्यवाही करावे। वगैरा पर प्रकरण संख्या 158/25 धारा 103(1) बीएनएस मे दर्ज रजिस्टर कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। प्रकरण की घटना को गंभीरता से लेते हुए श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मनीष त्रिपाठी द्वारा श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक महोदय श्री महेन्द्र पारीक के निर्देशन एवं श्रीमान वृताधिकारी महोदय श्री विवेक सिंह के निकटतम सुपरविजन मे व हंसाराम सिरवी पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी कांकरोली के नेतृत्व मे वारदात का खुलासा कर मुल्जिमान की गिरफतारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। जिनके द्वारा मुल्जिमान को गिरफतार किया गया। प्रकरण मे अनुसंधान के दौरान सामने आया कि गॉव गोदेला निवासी सज्जन सिंह राणावत की बेटी श्रीमती प्रमोद कुॅवर व अभियुक्त राम सिंह के स्कुल समय से ही प्रेम सम्बन्ध थे। प्रमोद कुॅवर राम सिंह से प्रेग्नेन्ट हो गई थी जिससे राम सिंह को उसके घर वालो ने घर बदर कर दिया था। प्रमोद कुॅवर को उसकी मॉ देसुरी मे उसके पीहर लेकर के चली गई। प्रमोद कुॅवर को उसकी मासी ने शेर सिंह की बहिन के यहॉ खिंवाजी–सुमेरपुर पाली भिजवा दिया। यहॉ पर प्रमोद कुॅवर की शादी दिनांक 19.07.2013 को शेर सिंह से उसकी मॉ, मौसी, व नानी ने मिलकर करवा दी। शेर सिंह उस समय बस कन्डक्ट्री का कार्य करता था। शेर सिंह और प्रमोद कुॅवर दोनो मद्रास चले गये। साल 2018 मे प्रमोद कुॅवर के पास राम सिंह के आने जाने से शेर सिंह विरोध करने लगा व प्रमोद कुॅवर के साथ मारपीट करने लगा तो प्रमोद कुॅवर घर का सारा खर्चा राम सिंह द्वारा ही उठाने की बात कहकर शेर सिंह को छोडकर जाने की बात कहती। उसके बाद शेर सिंह मजदुरी करने के

लिये अहमदाबाद, सिरोही जाता तो राम सिंह प्रमोद कॅवर के साथ ही रहता था। इस दरमियान मे साल 2021 मे प्रमोद कुॅवर के दुसरी सतान का जन्म हुआ। फिर शेर सिंह ने प्रमोद कुॅवर को कहा कि हम यहॉ नही रहेगे और प्रमोद कुॅवर व बच्चो को लेकर गॉव खाखरमाला आ गये व यंही रहने लगे। यहॉ पर राम सिंह के घर पर आने से प्रमोद कुॅवर और शेर सिंह दोनो के बीच मे आये दिन लडाई झगडे होते रहते। फिर प्रमोद कुॅवर वापस फोन करके राम सिंह को सारी बात बताती जिससे राम सिंह आकर के शेर सिंह के साथ मारपीट करता था। प्रमोद कुॅवर शेर सिंह के साथ नही रहना चाहती थी और राम सिंह के साथ ही अपना जीवन बिताना चाहती थी। राम सिंह भी प्रमोद कुॅवर के साथ ही अपना जीवन बितना चाहता था इसीलिये उसने किसी अन्य लडकी से विवाह नही किया था। इस कारण प्रमोद कॅवर ने कई बार राम सिंह को अपने साथ ले जाने हेतु और विवाह करके पति पत्नि की तरह जीवन यापन करने के लिये कहा परन्तु शेर सिंह प्रमोद कुॅवर को तलाक नही दे रहा था और प्रमोद कुॅवर को राम सिंह द्वारा ले जाने के बाद शेर सिंह के वापस लडाई झगडा करने की आशंका भी दोनो को थी। इस कारण प्रमोद कुॅवर राम सिंह के साथ नही जा सकी थी। दिनांक 21.06.25 को शेर सिंह ने प्रमोद कुॅवर को घर पर ही राम सिंह की बात को लेकर के मारपीट की और चौक मे घसीटा जिससे प्रमोद कुॅवर ने शेर सिंह को रास्ते से हटाने के लिये राम सिंह से फोन पर बातचीत करके शैर सिंह की रोड एक्सीडेन्ट मे हत्या करने की योजना बनायी। उसके बाद दोनो लगातार सम्पर्क मे रहे फिर राम सिंह ने अपने साथ रॉयल्टी नाके पर पुर्व मे काम करने वाले शौकिन पिता रामलाल जी जाति भील उम्र 32 साल निवासी कारुन्डा थाना छोटी सादडी जिला प्रतापगढ, से सम्पर्क किया जिससे फोन पर बातचीत करके पुरी कहानी समझाई। अभियुक्त शौकीन कुमार राम सिंह और प्रमोद कुॅवर के प्रेम प्रसंग के बारे मे पुरी तरह जानता था। उक्त घटना को अंजाम देने के लिये शौकीन कुमार भील ने अपने दोस्त दुर्गा प्रसाद पिता राधेश्याम जी मेघवाल उम्र 25 साल निवासी कारुन्डा थाना छोटी सादडी जिला प्रतापगढ (राज.) को भी शामिल किया। राम सिंह, शौकीन कुमार और दुर्गाप्रसाद तीनो ने योजना बनायी कि शेर सिंह के मोटरसाईकिल लेकर जाते हुये को सुनसान जगह पर पीछे से टक्कर मार देगे फिर अगर एक्सीडन्ट मे बच गया तो किसी धारदार हथियार से वार करके मार कर भग जॉयेगे जिससे किसी को पता नही लगेग। तीनो मुल्जिमान के पास गाडी नही थी। जिस कारण एक्सीडेन्ट मे शेर सिंह की हत्या करने के लियेएमपी पासिंग गाडी किराये पर लेकर के आये। राम सिंह ने उक्त घटना मे शरीक शौकीन कुमार और दुर्गाप्रसाद को एक–एक लाख रुपये देना तय किया था। दिनांक 23.06.25 को खर्चा के लिये प्रमोद कुॅवर ने 38,000/रु उक्त घटना करने के लिये खर्चे के लिये राम सिंह के खाते मे ट्रांसफर किये। दुर्गाप्रसाद ने अपने पुर्व के परिचित कालु सिंह हाडा निवासी नीमच को चित्तोड, मातृकुण्डिया, नाडोल दर्शन करके आने की बात कहकर उसकी गाडी ईको स्पोर्टस कार नम्बर एमपी 44 जेडसी 3888 किराये पर 6000/रु मे तय की। अभियुक्त शौकीन कुमार ने 5000/रु किराये के वाहन मालिक कालु सिंह को दिये। फिर नीमच से रवाना होकर के दिन मे करीब 1 बजे कालु सिंह गाडी लेकर के गॉव कारुन्डा दुर्गाप्रसाद और शौकीन के पास आया। जहॉ से दुर्गाप्रसाद, शौकीन, कालु सिंह तीनो गाडी लेकर के राम सिंह के पास राशमी चित्तोडगढ शाम को करीब 8 बजे आये। जहॉ रात को करीब 9 बजे कालु सिंह को रॉयल्टी आफीस पर ही छोडकर काुकरोली के लिये निकले लेकिन मातृकुण्डिया पहुॅचने पर प्रमोद कुॅवर से राम सिंह ने वापस वार्ता की तो प्रमोद कुॅवर ने बताया कि अभी शेर सिंह घर मे सो गया है। वह रात को बाहर नही आयेगा इसलिये आप सुबह ही आना। सुबह ये करीब 9–10 बजे बाडमेर आहोर होटल पर काम करने के लिये निकलेगा इसलिये गौमती चौराहे पर ही रहना वहॉ से पीछा करते हुये जाना और देसुरी की नाल मे एक्सीडेन्ट कर देना। जिस पर राम सिंह, दुर्गाप्रसाद और शौकीन कुमार तीनो गाडी लेकर वापस रॉयल्टी आफीस चले गये। प्रमोद कुॅवर ने राम सिंह को फोन कर बताया कि शेर सिंह बाडमेर के लिये निकलने वाला है उसने बेग तैयार कर लिया है। फिर राम सिंह, दुर्गाप्रसाद और शौकीन कुमार तीनो गाडी लेकर के मातृकुण्डियॉ रेलमगरा, कुरज कुॅवारिया होते हुये सरदारगड पहुॅचें जहॉ गाडोलिया लौहार से 600/रु मे एक धारदार कुॅट खरीदकर आमेट होते हुये गौमती चौराहे पर चले गये जहॉ पर राम सिंह का ईन्तजार कर रहे थे। वही पर प्रमोद कुॅवर ने फोन करके राम सिंह को बताया कि शैर सिंह वापस घर पर आ गया है। मै मेरी लोकेशन भेज रही हुॅ। आप लोग आमेट आ जाओ यहॉ मैरे को राजीविका के आफीस पर छोडकर के जायेगा उसके बाद यही से पीछे पीछे जाना। फिर राम सिंह, दुर्गाप्रसाद और शौकीन कुमार तीनो आमेट आ गये। जहॉ लाकेशन से शेर सिंह का पीछा करते हुये आमेट बसस्टेण्ड पर टंकी के पास खडे रहें। शेर सिंह प्रमोद कुॅवर को राजीविका के आफीस पर छोडकर के निकला तो पीछे पीछे राम सिंह, दुर्गाप्रसाद और शौकीन कुमार तीनो गाडी लेकर के रवाना हो गये। रास्ते मे शेर सिंह आमेट से सालमपुरा की तरफ चला गया जहॉ से सम्पर्क टुटने पर वापस राम सिंह ने प्रमोद कुॅवर से वार्ता की तो प्रमोद कुॅवर ने शैर सिंह को पेट्रोल के पैसे देने का बहाना बनाकर फोन किया और 200/रु दुकानदार के ट्रांसफर किये। जो लेकर शैर सिंह मो0सा0 से वापस रवाना हो गया। प्रमोद कुॅवर ने राम सिंह को फोन कर बता दिया कि शैर सिंह सरदारगढ बसस्टेण्ड पर निकलेगा। जिस पर राम सिंह, दुर्गाप्रसाद और शौकीन कुमार तीनो गाडी

लेकर के सरदारगढ रोड पर जहॉ से शेर सिंह मो0सा0 लेकर के निकलने वाला था उक्त स्थान पर ईन्तजार कर खडे हो गये। उसके बाद शेर सिंह ज्याही सरदारगड रोड पर निकला। राम सिंह, दुर्गाप्रसाद और शौकीन कुमार तीनो गाडी से पीछा करना शुरु कर दिया। शेर सिंह की गाडी के पीछे–पीछे पीछा करते हुये चलते रहे। सरदारगढ, साकरोदा, डुलियाणा, मादडी चौराहा होकर के हाईवे फोरलेन पर पहुॅचे जहॉ प्रतापपुरा पुलिया पर भागने की कोई गुजाईश नही होने, पुलिया सुनसान होने, कोई मदद के लिये नही आ सके एसा स्थान देखकर के राम सिंह ने शौकीन कुमार को गाडी पीछे से ठोकने के लिये कहा और शौकीन कुमार ने शेर सिंह की मो0सा0 के पीछे टक्कर मारी जिससे शेर सिंह मो0सा0 सहित नीचे गिर पडा। राम सिंह तुरन्त हाथ मे धारदार कुॅट लेकर के जो खलासी साईड मे बैठा हुआ था। नीचे उतरा और प्रथम वार शेर सिंह पर किया शैर सिंह ने अपना बॉया हाथ बचाव मे आगे लाया जो कट गया। फिर भागते हुये शेर सिंह पर राम सिंह ने सिर गर्दन व सीने पर ताबडतोड गम्भीर वार किये जिससे शेर सिंह की गर्दन कट गई और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। राम सिंह की सहायता के लिये शौकीन कुमार गाडी से नीचे उतरा और दुर्गाप्रसाद भी गाडी का दरवाजा खोलकर तैयार था। फिर राम सिंह, दुर्गाप्रसाद और शौकीन कुमार तीनो गाडी लेकर के ज0के0 सर्कल, लालबाग, कोठारिया, बनेडिया, रेलमगरा, होते हुये मातृकुण्डिया पहुॅचे जहॉ घाट पर पुजा करके खुन से सने कपडे खोलकर स्नान किया व गाडी को धोया। फिर वहॉ से राशमी गये जहॉ से गाडी मालिक कालु सिह को साथ मे लेकर के आगे जोगणिया माता मन्दिर मे दर्शन करके राम सिंह गाडी से उतर गया और कालु सिंह ,शौकीन कुमार, दुर्गाप्रसाद तीनो गाडी लेकर के गॉव कारुन्डा छोटी सादडी जिला प्रतापगढ पहुॅचे। जहॉ शौकीन कुमार, दुर्गाप्रसाद को छोडकर कालु सिंह अपने घर नीमच चला गया।

प्रकरण मे दिनांक 25.06.25 को मुल्जिमान शौकिन कुमार भील पिता रामलाल जाति भील उम्र 32 साल निवासी कारुन्डा थाना छोटी सादडी जिला प्रतापगढ, श्री दुर्गाप्रसाद पिता राधेश्याम जी मेघवाल जाति मेघवाल उम्र 25 साल निवासी कारुन्डा थाना छोटी सादडी जिला प्रतापगढ, को गिरफतार किया गया। अभियुक्त राम सिंह पिता हरि सिंह उम्र 35 साल निवासी गोदेला थाना घासा जिला उदयपुर को दिनांक 30.06.25 को माउन्ट आबु से डिटेन कर गिरफतार किया गया। आज प्रकरण मे अभियुक्ता श्रीमती प्रमोद कुॅवर पत्नि शैर सिंह निवासी खाखरमाला थाना आमेट जिला राजसमन्द को गिरफतार किया गया है। प्रकरण मे गहनता से अनुसंधान जारी है।

पुलिस टीम थाना कांकरोली

1. **श्री हंसाराम सिरवी पु.नि.**
2. **श्री ओम सिंह सउनि**
3. **श्री निर्भय सिंह सउनि**
4. **श्री महेन्द्र सिहं हैड कानि न 818**
5. **श्री विरेन्द्र सिंह हैडकानि 148**
6. **श्री नरेश कुमार हैड कानि न 536**
7. **श्रीमती सीता हैड कानि 671**
8. **श्री यशवन्त नाथ कानि न 924**
9. **श्री हिम्मत सिंह कानि न 479**
10. **श्री रोशन लाल कानि न 665**
11. **श्री थानाराम कानि न 107**
12. **श्री नरेन्द्र वसीटा कानि 920**
13. **श्री राजेन्द्र सिंह कानि 1200**
14. **श्री मुलचन्द कानि न 1141**

साईबर सैल पुलिस टीम

1 **श्री शम्भुप्रताप सिंह हैड कानि 495**
2 **श्री ईन्द्र कुमार कानि 363**
3 **श्री ओमप्रकाश कानि 1076**
4 **श्री बुद्वराम कानि न 604**

(हंसाराम पु.नि.)
थानाधिकारी
पुलिस थाना कांकरोली